संचालनालय तकनीकी शिक्षा
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
0 7 JAN 2022
5761
संचालक

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 9–26/2021/तक.शि./42, नवा रायपुर, दिनांक 30/12/2020

प्रति

संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छ0ग0।

विषयः– शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के संकाय सदस्यों के औद्योगिक प्रशिक्षण के संबंध में।

संदर्भः– आपका जावक कमांक 2778, दिनांक 04.11.2020

———0———

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित टीप के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के संकाय सदस्यों के औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. **शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के संकाय सदस्यों के ऊर्ध्वाधर संचलन हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण अनुबंधित किया गया है।**

(i) **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अधिसूचना क्रमांक 82, दिनांक 01 मार्च, 2019 के विनियम 5.2 के अनुसार शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों के लिए निम्नानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण की अपेक्षाएं है –**

सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान, लेवल-11, प्रवेश वेतन-68900/-), सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड, लेवल-12, प्रवेश वेतन-79800/-) एवं एसोसिएट प्रोफेसर (लेवल-13ए1, प्रवेश वेतन-131400/-) में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता मानदण्डों में अनुबंध-III के अंतर्गत कम-से-कम दो सप्ताह का प्रासंगिक औद्योगिक प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता है।

(ii) **शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं से संबद्ध संकाय सदस्यों के ऊर्ध्वाधर संचलन हेतु निम्नानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण की अपेक्षाएं है –**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अधिसूचना क्रमांक 83, दिनांक 01.03.2019 के क्रमशः विनियम 4.3 के अनुसार व्याख्याता (वरिष्ठ मान) (लेवल-11, प्रवेश वेतन 68,900/-), विनियम 4.4 के अनुसार व्याख्याता (चयन ग्रेड-1) (लेवल-12, प्रवेश वेतन 79800/-) एवं विनियम 4.5 के अनुसार व्याख्याता (चयन ग्रेड-।।) (लेवल -13ए, प्रवेश वेतन 131400/-) में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता मानदण्डों में तीन सप्ताह का औद्योगिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता है।

2. **निर्धारित प्रशिक्षण अवधि के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अवकाश एवं प्रशिक्षण शुल्क–**

(i) संकाय सदस्यों के औद्योगिक प्रशिक्षण स्वीकृति करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित संकाय सदस्यों द्वारा औद्योगिक उपक्रम/औद्योगिक इकाई से औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु आवेदक को सहमति पत्र प्राप्त हुआ हो।

(ii) औद्योगिक प्रशिक्षण से संबंधित समस्त व्यय भार यथा प्रशिक्षण शुल्क, यात्रा व्यय, लॉजिंग/बोर्डिंग तथा अन्य समस्त व्यय का वहन संबंधित संकाय सदस्य द्वारा किया जाना होगा।

(iii) इस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किये जाने की शर्तों पर उक्त कार्य हेतु प्रशिक्षण अवधि का विशेष कर्तव्यस्थ अवकाश दिया जा सकता है।

3. **संस्था स्तर पर पठन-पाठन एवं अन्य आवश्यक कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए संस्था प्रमुख संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु अनुमति दे सकेंगे।**

4. **संस्था के प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा समन्वय स्थापित कर संकाय सदस्यों के औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।**

5. **प्रशिक्षण हेतु औद्योगिक इकाईयों का चयन एवं प्रस्ताव का आंकलन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकेगा-**

(i) प्रस्तावित औद्योगिक इकाई/औद्योगिक उपक्रमों में आवश्यक अधोसंरचना एवं प्रासंगिक ब्रांच/विषय क्षेत्र में विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्ताव मान्य किया जा सकता है।

(ii) संकाय सदस्यों को उनके प्रासंगिक ब्रांच/विषय क्षेत्र में ही औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है।

(iii) औद्योगिक इकाई से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था के संबंध में सहमति पत्र प्राप्त कर लेना उचित होगा।

(iv) केंद्र तथा राज्य सरकार के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के उपक्रमों यथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निमग **(NTPC),** स्टील अथॅरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड **(SAIL),** छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड **(CSPDCL),** छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड **(CSPGCL),** छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड **(CSPTCL),** राष्ट्रीय खनिज विकास निगम **(NMDC),** साउथ इर्स्टन कोलफिल्ड लिमिटेड **(SECL)** इत्यादि में प्रशिक्षण की संभावनाएं हैं। उक्त उपक्रमों के अधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।

(v) केंद्र एवं राज्य के विभाग जहां प्रासंगिक ब्रांच/विषय क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है यथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत **(CPWD),** छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग **(CGPWD),** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग **(PHE),** नगरीय प्रशासन, इंडियन रेल्वे इत्यादि में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।

(vi) निजी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। निजी क्षेत्र के औद्योगिक इकाई/उपक्रम के रूप में वैध पंजीयन तथा आवश्यक अधोसंरचना की व्यवस्था के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्ताव संस्था प्रमुख द्वारा मान्य किया जा सकता है।

(vii) उपरोक्तानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, शासकीय विभाग तथा निजी क्षेत्र के उपक्रम का चयन संस्था प्रमुख द्वारा किया जायेगा।

6. **प्रशिक्षण प्रमाण पत्र में प्रासंगिक विषय क्षेत्र में लिये गये औद्योगिक प्रशिक्षण का विवरण तथा प्रशिक्षण की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो। प्रशिक्षणार्थी का प्रमाण पत्र के साथ प्रशिक्षण प्रतिवेदन, उपस्थिति पत्रक सहित संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण अभिलेखों का संधारण संस्था स्तर पर किया जाये।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार

(मोतीराम खूंटे)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन
कौशल विकास, तक.शिक्षा
एवं रोजगार विभाग,